

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल मन्दसौर द्वारा पारित आदेश

// आदेश //

आ0क्र0 / स्था0 / 2023 / 134

मन्दसौर, दिनांक :- 07.07.2023

स्थानान्तरण नीति वर्ष 2023 में निहित प्रावधानों के तहत माननीय प्रभाषी मंत्री महोदय जिला मन्दसौर के अनुमोदन पश्चात् वनमण्डल मन्दसौर में पदस्थ निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम नम्बर 06 अनुसार नवीन पदस्थापना पर आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से स्थानान्तरण कर पदस्थ किया जाता है -

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	एम्प्लॉई कोड	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	श्री कारूसिंह चौहान	वनरक्षक	240008389	गेमरेंज पूर्व अभयारण्य गांधीसागर	वन परिक्षेत्र मंदसौर
2	श्री नरेंद्र कुमार मालवीय	वनरक्षक	240008383	बीट हरीगढ़, गेमरेंज पूर्व अभयारण्य गांधीसागर	वन परिक्षेत्र मंदसौर
3	श्री ब्रजमोहन शर्मा	वनरक्षक	240008385	बीट कैथूली, गेमरेंज पूर्व अभयारण्य गांधीसागर	गेमरेंज पश्चिम अभयारण्य गांधीसागर
4	श्री राधू दामा	वनरक्षक	330034979	बीट दातला गेमरेंज पूर्व अभयारण्य गांधीसागर	गेमरेंज अभयारण्य गांधीसागर पश्चिम
5	श्री रामनरेश शुक्ला	कार्यवाहक वनपाल	240006012	बीट नरसिंहझर उत्तर, अभयारण्य गांधीसागर पूर्व	गेमरेंज अभयारण्य गांधीसागर पश्चिम
6	श्री ललित मीणा	वनरक्षक	240009156	बीट सीतामऊ, वन परिक्षेत्र मंदसौर	गेमरेंज अभयारण्य गांधीसागर पूर्व
7	श्री मयूरराजसिंह चौहान	वनरक्षक	052023686	बीट धामनिया, परिक्षेत्र भानपुरा	वन परिक्षेत्र मंदसौर
8	श्री दीपक पाटीदार	वनरक्षक	240008553	गेमरेंज पश्चिम अभयारण्य गांधीसागर	वनमण्डल मंदसौर
9	श्री जितेंद्र राठौर	वनरक्षक	240007912	वन परिक्षेत्र भानपुरा	वन परिक्षेत्र मंदसौर (विशेष कर्तव्य)

शर्तें -

1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा।
2. उक्त अवधि में स्थानान्तरित कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा।
3. कार्यमुक्त होने के पश्चात स्थानान्तरित कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से आहरित होगा।
4. कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से अपालन, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

निरंतर2

6. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में उपस्थित होने के पश्चात स्वीकृत किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अज्ञेय प्रति

(संजय रायखरे)
"मा० य० ०२००"
वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल, मंदसौर
57/7/2023

पृ० क्रमांक / स्था. / 2023 / 3803

मंदसौर, दिनांक— 07.07.2023

प्रतिलिपि:—

1. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-02) म० प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कलेक्टर जिला मन्दसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. निज सहायक, माननीय मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. जिला कोषालय अधिकारी मन्दसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. उप वनमण्डलाधिकारी गरोठ/अधीक्षक अभ्यारण्य गांधीसागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. वन परिक्षेत्राधिकारी मन्दसौर/भानपुरा/गेमरेंज अधिकारी अभ्यारण्य गांधीसागर पूर्व/पश्चिम की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
10. मुख्य लिपिक, सामान्य वनमण्डल मंदसौर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
11. संबंधित श्री की ओर पालनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, मंदसौर
57/7/2023